# कार्यालय–उपनिदेशक, गोविन्द वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क, पुरोला।

दूरभाष एवं फैक्स नं०–01373-223433, Email-gwlspurola@gmail.com

पत्रांक 1858/12–1 पुरोला दिनांक 22/3/2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

**विषयः–** **जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी में कोटगांव (नैटवाड) से कलाप मोटर मार्ग (लम्बाई–15.00 कि०मी०) के नव निमार्ण हेतु 11.115 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन (Online No. FP/UK/ROAD/47302/2020)।**

**सन्दर्भः–** **आपका का पत्रांक 2058/FP/UK/ROAD/47302/2020) दिनांक–24.02.2022।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम मे इस कार्यालय के पत्र सं०–1845/12–1 दिनांक 21.03.2022 से वन क्षेत्राधिकारी सुपिन रेज नैटवाड़ से जांच कर आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया उनके पत्रांक–431/1 दिनांक 21.03.2022 द्वारा आख्या उपलब्ध करायी **(संलग्नक–1)** वन क्षेत्राधिकारी सुपिन रेज, नैटवाड के अनुसार प्राप्त रिर्पोट का विवरण निम्न प्रकार है:–

1. प्रस्तावित कार्य सुपिन रेज की कलाप बीट के कक्ष संख्या 1, 2, 3, 4, व 5 के अन्तर्गत आता है जो कि गोविन्द नेशनल पार्क के भाग मे अवस्थित नहीं है।
2. प्रस्तावित कार्य सुपिन रेज की कलाप बीट के कक्ष संख्या 1, 2, 3, 4, व 5 गोविन्द वन्य जीव विहार के सेन्चुरि का भाग है कलाप बीट के कक्ष संख्या 1, 2, 3, 4, व 5 का कोई भी कक्ष गोविन्द नेशनल पार्क के अन्तर्गत नही आता है गोविन्द वन्यजीव विहार एवं गोविन्द राष्ट्रीय पार्क का गजट नोटिफिकेशन **(संलग्नक–2, 3)** से स्पष्ट है।

चुकि उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रस्तावित मार्ग गोविन्द वन्य जीव विहार के सेन्चुरि का भाग है इसलिये एन०पी०वी० की दरे 5 गुना ली गयी है। अतः आपत्ति का निराकरण कर महोदय की सेवा मे अग्रेत्तर कार्यावाही हेतु सादर प्रेषित।

**संलग्नकः–** **उपरोक्तानुसार।**

भवदीय,
(डी०पी०बलूनी)
उपनिदेशक,
गोविन्द वन्य जीव विहार/रा०पार्क
पुरोला, उत्तरकाशी

पत्रांक 1858/ समदिनांकित

**प्रतिलिपिः–** 1. निदेशक, वन संरक्षक राजाजी टाइगर रिर्जव, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
2 अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०, मोरी को सूचनार्थ प्रेषित।

(डी०पी०बलूनी)
उपनिदेशक,
गोविन्द वन्य जीव विहार/रा०पार्क
पुरोला, उत्तरकाशी

O/C

गोविन्द वन्यजीव विहार एवं राष्ट्रीय उद्यान
उत्तराखंड

# कार्यालय–उपनिदेशक, गोविन्द वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क, पुरोला।

दूरभाष एवं फैक्स नं०–01373-223433, Email-gwlspurola@gmail.com

पत्रांक 1845/12–1 पुरोला दिनांक 21/3/2022

सेवा में,

वन क्षेत्राधिकारी
सुपिन रेज, नैटवाड़
गोविन्द वन्य जीव विहार/रा० पार्क
पुरोला, उत्तरकाशी

विषयः– **जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी में कोटगांव (नैटवाड) से कलाप मोटर मार्ग (लम्बाई–15.00 कि०मी०) के नव निमार्ण हेतु 11.115 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन (Online No. FP/UK/ROAD/47302/2020)।**

सन्दर्भः– **अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी के कार्यालय का पत्रांक 2058/ FP/UK/ROAD/47302/2020) दिनांक–24.02..2022।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र की छायाप्रति इस आशय से प्रेषित की कोटगांव (नैटवाड) से कलाप मोटर मार्ग (लम्बाई–15.00 कि०मी०) के अन्तर्गत पड़ने वाला भाग पर अपनी सुस्पष्ट आख्या देते हुये वस्तुस्थति से अवगत कराना सुनिशिचत करें ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यावाही की जा सके।

संलग्नकः– **उपरोक्तानुसार।**

o/c.

भवदीय

(डी०पी०बलूनी)
उपनिदेशक,
गोविन्द वन्य जीव विहार/रा०पार्क
पुरोला, उत्तरकाशी

# कार्यालय, वन क्षेत्राधिकारी, सुपिन रेंज नैटवाड़
## गोविन्द वन्यजीव विहार एवं राष्ट्रीय पार्क, पुरोला

पत्रांक 431/1 नैटवाड़ दिनांक 21 मार्च 2022

सेवा में,

उप निदेशक
गोविन्द वन्यजीव विहार एवं राष्ट्रीय पार्क
पुरोला, उत्तरकाशी।

**विषय– जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी में कोटगांव (नैटवाड़) से कलाप मोटर मार्ग (ल0 15.00 किमी0) के नव निर्माण हेतु 11.115 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन ।**

संदर्भ :– आपका पत्रांक 1845/12–1 पुरोला दिनांक 21/03/2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में मुझ द्वारा संदर्भित मोटर मार्ग के क्षेत्रों का अभिलेखीय परीक्षण एवं वन क्षेत्र का निरीक्षण किया गया जिसमें निम्न तथ्य प्रकाश में आये

1. संदर्भित कार्य सुपिन रेंज की कलाप बीट के कक्ष संख्या 1, 2, 3, 4 व 5 में प्रस्तावित है **(संलग्नक 1, 2, 3,)**।
2. सुपिन रेंज की कलाप बीट के कक्ष संख्या 1, 2, 3, 4 व 5 गोविन्द वन्यजीव विहार के अन्तर्गत है इनमें से कोई भी कक्ष गोविन्द राष्ट्रीय पार्क का हिस्सा नहीं है जो कि गोविन्द वन्यजीव विहार एवं गोविन्द राष्ट्रीय पार्क के संलग्न नोटिफिकेशन **(संलग्नक 4, 5,)** से स्पष्ट है।
3. उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि एन0पी0वी0 दर के आकलन हेतु गोविन्द वन्यजीव विहार की दर से आकलित किया जाना सही है। एन0पी0वी0 दर के आकलन हेतु गोविन्द राष्ट्रीय पार्क में नही होने से राष्ट्रीय पार्क की एन0पी0वी0 दर 10 गुणा से आकलित नहीं किया जाना चाहिये।

अतः जांच रिपोर्ट महोदय की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

**संलनक–** उरोक्तानुसार

भवदीय,

(ज्वाला प्रसाद)
वन क्षेत्राधिकारी,
सुपिन रेंज, नैटवाड़।

उत्तराखण्ड शासन
वन एवं पर्यावरण

## अधिसूचना

संख्या–4000 / X-2-2013-19(32)/2002
दिनांक–09 अक्टूबर 2013

चूँकि राज्य सरकार की राय है कि वह क्षेत्र जिसके ब्यौरे नीचे दी गयी अनुसूची में समाविष्ट है, वन्य जीवों और उनके पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन और विकास के प्रयोजन के लिये पारिस्थितिकी, प्राणीजात, पादपजात, भू–आकृति , प्राकृतिक और प्राणी तत्वीय महत्व का है;

और चूँकि वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धार 35(1) के अन्तर्गत प्रारम्भिक अधिसूचना उत्तरप्रदेश शासन की अधिसूवना सं0 394 / XIV-3-137/86 दिनांक–26 फरवरी 1990 द्वारा निगर्तत किया गया था;

और चूँकि वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 19 से 26 तक समस्त कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है;

अत्एव, राजयपाल, अब वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 (1972 का नं0 53) की धारा 25(4) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके जिला उत्तरकाशी, उत्तराखण्ड़ मे 558.88 वर्ग कि0मी0 क्षेत्रफल के उक्त क्षेत्र को ''गोविन्द राष्ट्रीय उद्यान'' ज्ञात नाम से राष्ट्रीय उद्यान के रुप में घोषित करते है।

## अनुसूची

गोविन्द राष्ट्रीय उद्यान में सम्मिलित क्षेत्र तथा उनकी सीमाऐं निम्न प्रकार है:

**(एक) उत्तरः**

लिवाडी कक्ष सं0 4 व 5 के मिलान पर मझीवन दर्रे से हिमाचल प्रदेश व उत्तराखण्ड़ के अन्तरराज्यीय सीमा धार होते हुए टौंस व गंगा नदियों के जलागम क्षेत्र विभाजन शिखर 5905 मी0 तक

**(दो) पूर्वः**

शिखर 5905 मी से दक्षिण पश्चिम की ओर मुख्य धार होते हुए बंदरपूँछ शिखर 6316 मी0 तक

**(तीन) दक्षिणः**

बंदरपूँछ शिखर से टौंस व यमुना नदियों का मुख्य जलागम विभाजन धार होते हुए उस धार पर पुस्तारागाड़ व गियागाड़ आरक्षित वन के मिलान तक

मन्द्राला आरक्षित वन खण्डों के बाहरी सीमा होते हुए रुईन्सारा गाड़ व हरकीदून गाड़ के संगम तक; तत्पश्चात ऊपर की ओर हरकीदून गाड़ होते हुए मनिन्दा कक्ष सं0 3 व 6 के मिलान तक; तत्पश्चात मनिन्दा कक्ष सं0 6 व 4, ओबरागाड़ कक्ष सं0 9 व 8 तथा लिवाडी कक्ष सं0 7 व 5 दक्षिणी सीमा होते हुए मझीबन दर्रे तक।

**राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल विवरण:**

आरक्षित वनों का सुदूर, दुर्गम, हिमाच्छादित, हिमनद क्षेत्रों में होने के कारण क्षेत्रफल का आंकलन पूर्व में सी तरीके से नहीं हो पाए है। अतः मानचित्र से जी0आई0एस0 सॉफ्टवेयर से क्षेत्रफल आंकलन के पश्चात, आरक्षित वन खण्डों के अतिरिक्त क्षेत्रफल जो पूर्व में मापन नहीं किया गया था को भी सम्मिलित किया है। उपरोक्त बाहरी सीमाओं से सीमांकित राष्ट्रीय उद्यान मे निम्न आरक्षित वन क्षेत्र सम्मिलित होगें:

| रेंज | आरक्षित वन खण्ड | कक्ष सं0 | क्षेत्रफल हे0 में |
|---|---|---|---|
| सुपिन | ओबरागाड़ | 8,9 | 3814.64 |
| सुपिन | लिवाडी | 5 to 7 | 4673.10 |
| सॉकरी | पोस्तारा | 1 to 5 | 1421.26 |
| सॉकरी | बटगैर | 1 t0 7 | 2688.73 |
| सॉकरी | माहनीर | 1 to 5 | 2626.01 |
| सॉकरी | सियॉगाड | 1 to 7 | 1914.57 |
| सॉकरी | रुईन्सारा | 1 to 6 | 13033.72 |
| सॉकरी | मन्द्राला | 1 to 7 | 1927.69 |
| सॉकरी | मनिन्दा | 4 to 6 | 9312.64 |
| सॉकरी | हरकीदून | 1 to 5 | 6142.73 |
| उपरोक्त के अंतर्गत अतिरिक्त असर्वेक्षित क्षेत्र | | | 8355.52 |
| | | Total | 55887.61 |

**कुल क्षेत्रफल = 558.88 वर्ग कि0मी0**

राष्ट्रीय उद्यान के उपरोक्त सकल सीमा के अन्तर्गत कोई राजस्व ग्राम के चक नहीं हैं।

आज्ञा से

(एस0रामास्वामी)

प्रमुख सचिव

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 140.9 | – |
| | गयागाड़ | 1 to 6 | 2080.48 | – |
| | सिरगा | 1 to 4 | 397.4 | – |
| | डाटमीर | 1 to 7 | 1412.35 | – |
| | ओसला | 1 to 7 | 3258.96 | – |
| | मनिन्दा | 1 to 3 | 1275.16 | – |
| रुपिन | नुरानू | 1 to 5 | 640.62 | – |
| रुपिन | जापुड | 1 to 4 | 337.91 | – |
| रुपिन | रुपिन | 1 to 7 | 667.73 | – |
| रुपिन | समरोड | 1 to 6 | 764.49 | – |
| रुपिन | इस्तरागाड़ | 1 to 17 | 2258.55 | – |
| रुपिन | भिलधार | 1 to 6 | 902.86 | – |
| रुपिन | हटवाडी | 1 to 4 | 579.51 | – |
| रुपिन | सेवा | 1 to 8 | 1298.64 | – |
| रुपिन | सिलाला | 1 to 3 | 387.28 | – |
| रुपिन | कापरागाड़ | 1 to 9 | 1028.32 | – |
| रुपिन | मौजीगाड़ | 1 to 8 | 2459.68 | – |
| रुपिन | मसरी | 1 to 6,8 to 10 | 1840.91 | मसरी 7 छोड़ा गया |
| रुपिन | पुजेली | 1 to 7 | 726.41 | पुजेली 8 छोड़ा गया |
| रुपिन | दोनी | 1,5,6 | 615.53 | दोनी 2,3,4,7 छोडा गया |
| | योग | | 48105.01 | |

**कुल क्षेत्रफल = 48105.01 है0 या 481.05 वर्ग कि0मी0**

(देवरा कक्ष सं0 2 तथा अभ्युक्ति के स्तम्भ में दिए गए सूचना आरक्षित वनों के सिविल व कृषि भूमि से घिरे हुए छुट पुट एकल कक्षों को अभ्यारण्य की अधिसूचना से पृथक रखा गया है।)

स्थानीय जनता के आरक्षित वनों के समस्त वन अधिकार एंवहक–हकूक तथा सामुदायिक अधिकार पूर्व की भांति यथावत् बने रहेंगे।

समस्त राजस्व ग्राम तथा तोक जो आरक्षित वन के सीमा के अन्दर सीमांकित चक के रुप मे अथवा अन्य तोक जो अभ्यारण्य के सकल सीमा के अन्तर्गत आता है, इस अधिसूचना की सीमा से बाहर होगा तथा इस प्रकार यह अभ्यारण्य का भाग नही होगा। ये ग्रामीण अपने सामुदायिक वन अधिकारों का उपयोग कर सकते है जिसमें उनके गॉवों को जोड़ने वाली सड़के व बटियाऐं जो अभ्यारण्य के अन्तर्गत है तथा अभ्यारण के अन्तर्गत नदी तटों में स्थित परम्परागत शमशान घाटों का उपयोग या अनुसूचित जनजाति एंव अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम के 2006 के अन्तर्गत जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा प्रदत्त किसी अन्य सामुदायिक वन अधिकार सम्मिलित होंगे।

आज्ञा से

(एस0 रामास्वामी)
प्रमुख सचिव

उत्तराखण्ड़ शासन
वन एवं पर्यावरण

## अधिसूचना

सं0 4001/X-2-2013-19(32)/2002
दिनांक–09 अक्टूबर 2013

चूंकि राज्य सरकार की राय है कि वह क्षेत्र जिसके ब्यौरे नीचे दी गयी अनुसूची में समाविष्ट है, वन्य जीवों और उनके पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन और विकास के प्रयोजन के लिये पारिस्थितिकी, प्राणीजसत, पादपजात, भू–आकृति, प्राकृतिक और प्राणी तत्वीय महत्व का है;

और चूंकि वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18 के अन्तर्गत प्रारंभिक अधिसूचना उत्तरांचल शासन के अधिसूचना सं0 1128/X-2-2004-19(1)/2004 दिनांक 16 जून 2004 द्वारा निर्गत किय गया था;

और चूंकि वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 19 से 26 तक समस्त कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है;

अत्एव, राज्यपाल अब वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का नं0 53) की धारा 26क (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके जिला उत्तरकाशी, उत्तराखण्ड़ में 481.05 वर्ग कि0मी0 क्षेत्रफल के उक्त क्षेत्र को **"गोविन्द वन्यजीव अभ्यारण्य"** ज्ञात नाम से अभ्यारण्य के रुप में घोषित करते है।

## अनूसूची

गोविन्द वन्यजीव अभ्यारण्य में सम्मिलित क्षेत्र तथा उनकी सीमाऐं निम्न प्रकार है:–

(एक) उत्तरः
सिलाली कक्ष सं0 1 के पश्चिमी छोर जहॉ रुपिन नदी हिमाचल प्रदेश से उत्तराखण्ड प्रदेश में प्रवेश करती है से ऊपर की ओर हिमाचल प्रदेश व उत्तराखण्ड़ के सीमा धार होते हुए धाकमीर धार व भराडसर धार होते हुए माझीबन शिखर 4973 मी0 तक; तत्पश्चात शिखर से नीचे लिवाड़ी कद्वा सं0 4 व 5 के मिलान पर पतंगरी धार के दर्रे तक।

(दो) पूर्वः
पतंगरी दर्रे से नीचे की ओर लिवाडी कक्ष सं0 4 व 5 के सीमा धार होते हुए सुपिन नदी तक; तत्पश्चात नदी के ऊपर की ओर बसलावा धार के तल तक; तत्पश्चात बसलावा धार होते हुए ओबरागाड़ कक्ष सं0 8 के मिलान तक; तत्पश्चात ओबरागाड़ कक्ष सं0 8 के दक्षिणी सीमा होते हुए ओबरागाड़ नदी तक; तत्पश्चात ओबरागाड़ कक्ष सं0 9 के दक्षिणी सीमा होते हुए मनिन्दा कक्ष सं0 4 के मिलान पर 5554 मी0, शिखर तक; तत्पश्चात मनिन्दा कक्ष0 सं0 3 व 4 के बीच गधेरा होते हुए हरकीदून गाड़ के संगम तक।